



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 माघ 1937 (श0)
(सं0 पटना 119) पटना, सोमवार, 8 फरवरी 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
8 फरवरी 2016

एस०ओ० 32 दिनांक 8 फरवरी 2016—विभागीय अधिसूचना संख्या एस०ओ० 189 दिनांक 03 अगस्त 2015 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त निर्दिष्ट करते हैं कि विभागीय अधिसूचना संख्या एस०ओ० 189 दिनांक 03 अगस्त 2015 के क्रम संख्या 7 के संशोधन वाणिज्य-कर विभाग के वेबसाईट पर उनके क्रियाशील होने की तिथि 28 जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे।

[(सं०सं०.बिक्री-कर/संशोधन-02/2015-556)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

8 फरवरी 2016

एस०ओ० 33 एस०ओ० 32 दिनांक 8 फरवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०.बिक्री-कर/संशोधन-02/2015-557)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 8th February 2016

S.O. 32 dated the 8th February 2016— In exercise of the power conferred by departmental notification No-189 dated 03 August, 2015 the Commissioner, Commercial Taxes is pleased to notify that the amendments made by Sl. No.-7 of the departmental notification No-189 dated 03 August, 2015 shall come in force from 28 January, 2016 the date this amendment was made functional in the departmental website.

[(File No. Bikrikar /Sansodhan-02/2015-556)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 119-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>